

Refno-2900-PBR/15

रूर जहाँ | खलसाणा

26.11.2015

आवेदन की ओर से श्री
राजेश जीरी आभेभाष्य उपस्थित।
वकील पुने जसे। अनुवाचिका का कारण
समाधान कारक होने से मूक प्रमाण
पुनः स्थापित किया जाता है। इस
प्रमाण में कोई कर्मवाही शेष नहीं
होने से समाप्त किया जाता है।

का

अध्यक्ष

26.11.2015

[क. प. उ.]

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्र.

/पुर्नस्थापन/2015

Resto - 2900-PBR/15

1. श्रीमती नूरजहां पत्नी श्री अख्तर अली, मृतक द्वारा उत्तराधिकारीगण :-
1. अरशद खाँ, आयु लगभग 35 वर्ष
 2. फरहा, आयु लगभग 32 वर्ष
 3. अथर खाँ, आयु लगभग 30 वर्ष
 4. फरहीन, आयु लगभग 28 वर्ष
 5. आफरीन, आयु लगभग 26 वर्ष
- सभी पुत्र-पुत्रीगण श्री अख्तर अली
2. श्रीमती रौनक जहां पत्नी श्री मेहबूब खां
3. श्रीमती बिरजिश जहाँ (मृतक) पत्नी श्री हामिद खां द्वारा वारिसान -
1. वकार खां
 2. नासिर खां
 3. साबिर खां
 4. निसार खां

सभी पुत्रगण हामिद खां, निवासी- शाहजहांनाबाद, भोपाल

4. श्रीमती अफरोज जहां पत्नी श्री अजहर अली
5. श्रीमती फिरदौस पत्नी श्री अजहर अली
6. श्रीमती फिरोज जहां पत्नी श्री साहब वासिद, सभी आयु वयस्क, सभी पुत्रीगण स्व. अजीज अहमद
7. श्री लईक अहमद
8. श्री अशफाक अहमद
9. श्री अनवर अहमद

सभी पुत्रगण स्व. श्री अजीज अहमद

सभी निवासीगण-अहाता रूस्तम खां, भोपाल (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमती रूखसाना बी पत्नी स्व. श्री हबीब अहमद
निवासी- ग्राम फतेहपुर डोबरा,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)

..... अनावेदक

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 9 सहपठित आदेश 32 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण की ओर से निवेदन है कि :-

01. यह कि आवेदकगण की ओर से एक निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी प्रकरण क्र. 1565/पीबीआर/2015 के रूप में पंजीबद्ध होकर दिनांक 28.07.2015 को प्रारंभिक सुनवाई हेतु नियत की गई थी।





...2..